संख्या-49/2021/1023/22-2-2020-17(106)/2014

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री बाबूराम यादव, निवासी जनपद-आगरा वर्तमान जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री बाबूराम यादव, मंगद पुर, थाना-बाह, जनपद-आगरा वर्तमान पता-मनधाती, थाना-एका, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा 05-06 वर्ष पूर्व मृतक राजाराम द्वारा अभियुक्त भूरा और विश्राम सिंह की माँ का अपहरण किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 23.11.1979 को 25-26 बदमाश आये और छप्पर के नीचे ताश खेल रहे ओमप्रकाश व अन्य के ऊपर बन्दूकों से फायरिंग कर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/1979 में भा0द0वि0 की धारा-396/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम्, आगरा के आदेश दिनांक 08.04.1983 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.1983 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 23 वर्ष, 04 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष, 02 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी भूरा पुत्र श्री बाबूराम यादव द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी भूरा (बन्दी संख्या-8284) पुत्र श्री बाबूराम यादव, निवासी जनपद-आगरा वर्तमान जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2021/1023(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in